



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 03 / 237 / 2011.

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

15

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री गिरिजा प्रसाद द्विवेदी महाविद्यालय,
सेमराध, संत रविदास नगर,
भदोही।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-सम्ब0 303/सत्तर-6-2011-2(129)/2011 दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियामावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही महाविद्यालय के सत्र 2010-11 का परीक्षाफल तथा सामूहिक नकल का आरोपी न होने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, मा0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

o/c

(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 03/238 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

15

सेवा में,

प्रबन्धक,
बुद्धिराम दूबे महिला महाविद्यालय,
इटहरा, संत रविदास नगर,
भदोही।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं दर्शनशास्त्र की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-सम्ब0 302/सत्तर-6-2011-2(114)/2011 दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति 01.07.2011 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है। कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमति प्रदान की जाती है कि:-

1. महाविद्यालय निरीक्षा आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रु0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रश्नगत पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति करते हुए बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय संचालन हेतु प्रबंध समिति का गठन कर अनुमोदन प्राप्त कर लें। जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम के कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,

(एस0एल0मौरी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, मा0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

o/c

(एस0एल0मौरी)
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता/03/200 /2011,

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2011
15

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती जगवन्ती देवी हीरानन्द महाविद्यालय,
बेरवां, पहाड़पुर,
संत रविदास नगर, भदोही।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, एवं गृहविज्ञान की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-संख्या 2075/सत्तर-6-2011-2(469)/2011 दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 के बी0ए0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही महाविद्यालय के सत्र 2010-11 का परीक्षाफल तथा सामूहिक नकल का आरोपी न होने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम की स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने कार्यवाही की जा सकें, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव, समिति को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

o/c


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 03 / 278 / 2011,

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
केशव प्रसाद राहूी महाविद्यालय,
औराई, संत रविदास नगर,
भदोही।

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत भूगोल, गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-संख्या0 2074/सत्तर-6-2011-2(472)/2011 दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 03 / 239 / 2011,

दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
केशव प्रसाद राहू महाविद्यालय,
औरसई, संत रविदास नगर,
भदोही।

विषय : स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन के पत्रांक-सम्ब0 52/सत्तर-6-2011-2(24)/2011 दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 की धारा 37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उपरोक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

1. महाविद्यालय निरीक्षा आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टीसी, दिनांक 16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या 5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त रीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने तथा अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किये जाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए ही आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
8. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमिया आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

अतः उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रू0 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे महाविद्यालय में प्रश्नगत पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जा सके, अन्यथा शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय,


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

0/e


(एस0एल0मौर्य)
कुलसचिव